भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2003

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच के वेतन

2003. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

श्री अरविंद गणपत सावंतः

श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

क. इस समय देश में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है और इन केंद्रों में काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) की राज्य-वार, विशेष रूप से महाराष्ट्र में संख्या कितनी है;

ख. क्या प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका को प्रति माह दिया जाने वाला वेतन उनके घरेलू खर्च चलाने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ग. यदि नहीं, तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया जाने वाला वेतन न्यूनतम वेतन से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

घ. क्या सरकार के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को न्यूनतम वेतन या न्यूनतम वेतन से अधिक का संदाय किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

ङ. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

च. इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) वर्तमान में देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या तथा इन केन्द्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) की राज्यवार संख्या का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख) तथा (ग) वर्तमान में मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (पर एडब्ल्यूसी) पर एडब्ल्यूडब्ल्यू का मानदेय 4,500/- रुपये प्रति माह है; मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पर एडब्ल्यूडब्ल्यू का मानदेय 3,500/- रुपये प्रति माह है और एडब्ल्यूएच का मानदेय 2,250/- रुपये प्रति माह है। इसके अलावा एडब्ल्यूएच को 250/- रुपये प्रति माह और एडब्ल्यूडब्ल्यू को 500/- रुपये का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य भिन्न है। राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त मानदेय का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है।

(घ) से (च) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न कदम/पहल की गई हैं:

(i) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाले आंगनवाड़ी सहायकों द्वारा भरे जाने हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं बशर्ते कि वे अन्य मानदंडों को पूरा करते हों।

(ii) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर (किसी भी कारण से जीवन जोखिम, मृत्यु को कवर करता है) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी

पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर के लिए बीमा लाभ प्रदान किया गया है।

(iii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर: कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों को कुछ शर्तों के साथ "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

(iv) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित होने के लिए प्रोत्साहित करें, जो वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(v) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में उभयनिष्ठ सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं, ताकि उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित किया जा सके।

(vi) अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई है।

****

अनुलग्नक-I

"आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन" के संबंध में श्री श्रीरंग अप्पा चंदू बार्ने, श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे, श्री अरविंद गणपत सावंत और श्री धर्मेंद्र यादव द्वारा दिनांक 02.08.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2003 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश भर में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या और इन केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

(वित्तीय वर्ष **2024-25** के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के अनुसार)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**कार्यशील एडब्ल्यूसी**	**एडब्ल्यूडब्ल्यू (स्थिति में)**	**एडब्ल्यूएच (स्थिति में)**
1	आंध्र प्रदेश	55607	54908	47772
2	बिहार	115009	112094	103141
3	छत्तीसगढ़	52066	51245	44826
4	गोवा	1261	1224	1207
5	गुजरात	53029	49884	46167
6	हरियाणा	25962	23902	21608
7	हिमाचल प्रदेश	18925	18663	17772
8	जम्मू एवं कश्मीर	28426	27543	27048
9	झारखंड	38432	37944	35404
10	कर्नाटक	65931	64118	57482
11	केरल	33115	33115	32986
12	मध्य प्रदेश	97329	95953	82169
13	महाराष्ट्र	110446	105023	92911
14	ओडिशा	74154	73314	64805
15	पंजाब	27314	27075	25040
16	राजस्थान	61885	60874	54679
17	तमिलनाडु	54439	43602	38848
18	तेलंगाना	35700	33789	28166
19	उत्तर प्रदेश	189021	159938	141499
20	उत्तराखंड	20062	19311	13449
21	पश्चिम बंगाल	119481	105575	97989
22	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	720	720	720
23	चंडीगढ़	450	434	444

24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	405	405	392
25	लक्षद्वीप	59	59	59
26	दिल्ली	10897	10498	10657
27	पुद्दुचेरी	855	595	650
28	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225	6225
29	असम	62093	60964	55210
30	मणिपुर	11510	11466	9848
31	मेघालय	5896	5896	4630
32	मिजोरम	2244	2244	2244
33	नागालैंड	3980	3980	3980
34	सिक्किम	1308	1308	1308
35	त्रिपुरा	10145	10131	10131
36	लद्दाख	1149	1143	1125
कुल		**1395530**	**1315162**	**1182591**

अनुलग्नक-II

"आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन" के संबंध में श्री श्रीरंग अप्पा चंदू बार्ने, श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे, श्री अरविंद गणपत सावंत और श्री धर्मेंद्र यादव द्वारा दिनांक 02.08.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2003 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से भुगतान किए गए अतिरिक्त मानदेय (प्रति माह) रुपये में	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां	आंगनवाड़ी सहायिकाएं
1	आंध्र प्रदेश	7000	4750
2	बिहार	2500	1725
3	छत्तीसगढ़	5500	2750
4	गोवा	5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20-25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव), 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव) और 6000 (25 वर्ष और अधिक का अनुभव)
5	गुजरात	5500	3250
6	हरियाणा	9500 (10 वर्ष से अधिक की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 9000 (10 वर्ष से कम सेवा/अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 9000 (मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) रु. 4000 प्ले स्कूलों (उन्नत आंगनवाड़ी केंद्रों) में काम करने वाली 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।	5250
7	हिमाचल प्रदेश	मुख्य एडब्ल्यूसी के लिए 5000 और मिनी एडब्ल्यूसी के लिए 2950	3100
8	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
9	झारखंड	5000 (मुख्य एडब्ल्यूसी) और मिनी एडब्ल्यूसी में 6000	2500
10	कर्नाटक	6500	4000

11	केरल	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले के लिए 8000/- रुपये और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले के लिए 8500/- रुपये	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों के लिए 6250/- रुपये और 10 साल की सेवा पूरी करने वालों के लिए 6750/- रुपये
12	मध्य प्रदेश	मुख्य एडब्ल्यूसी के लिए 8500 और मिनी एडब्ल्यूसी के लिए 3750	4250
13	महाराष्ट्र	5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
14	ओडिशा	मुख्य एडब्ल्यूसी के लिए 3000 और मिनी एडब्ल्यूसी के लिए 1875	1500
15	पंजाब	5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि)।	3100 (प्रति माह 250 रुपये की वृद्धि)
16	राजस्थान	4554	3036
17	तमिलनाडु	10502	6596
18	तेलंगाना	9150	5550
19	उत्तर प्रदेश	1500	750
20	उत्तराखंड	4800-एडब्ल्यूडब्ल्यू और 2750-मिनी एडब्ल्यूडब्ल्यू	3000
21	पश्चिम बंगाल	3750	4050
22	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7500	5750
23	चंडीगढ़	3600	1800
24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	1000	600
25	लक्षद्वीप	5500	4750
26	दिल्ली	8220	4560
27	पुद्दुचेरी	1950	2125
28	अरुणाचल प्रदेश	16.01.2024 से लागू 2000+ 1000	16.01.2024 से लागू 2000+ 1000
29	असम	एडब्ल्यूडब्ल्यू के लिए 2000 और मिनी एडब्ल्यूडब्ल्यू के लिए 1250 रुपए	1000
30	मणिपुर	1000	600
31	मेघालय	मुख्य एडब्ल्यूसी के लिए 3000 और	1000

		मिनी एडब्ल्यूसी के लिए 1500	
32	मिजोरम	450	250
33	नागालैंड	0	0
34	सिक्किम	7000	4500
35	त्रिपुरा	5946 (अधिकतम) और 3500 न्यूनतम	4218 (अधिकतम) एवं 2750 (न्यूनतम)
36	लद्दाख	1300	650

****